संख्या-11/2021/264/24-1-21-54पी/02टीसी-1

प्रेषक:

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक फरवरी, 2021**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति हेतु आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-180/अधि0नि0(वित्त)/वि0प्र0-2/आय-व्ययक/2020-21/394 टी0सी0, दिनांक 01 फरवरी, 2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रूपये 4800,00,00,000/- (रूपये चार हजार आठ सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 800,00,00,000/- (रूपये आठ सौ करोड़ मात्र) में से शासनादेश संख्या-05/2021/61/24-1-21-54पी/02 टी0सी0-1, दिनांक 12 जनवरी, 2021 द्वारा धनराशि रूपये 400,00,00,000/- (रूपये चार सौ करोड़ मात्र) को माह जनवरी, 2021 में आहरित कर एन0टी0पी0सी0 को भुगतान किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2- उपरोक्त प्रस्तर-1 में शासनादेश दिनांक 12 जनवरी, 2021 द्वारा एन0टी0पी0सी0 को भुगतान किये जाने वाली स्वीकृत धनराशि रूपये 400,00,00,000/- (रूपये चार सौ करोड़ मात्र) के शासनादेश को निरस्त करते हुए माह फरवरी, 2021 के प्रथम सप्ताह में धनराशि रूपये 400,00,00,000/- (रूपये चार सौ करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

3- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उपरोक्त शासनादेश दिनांक 12 जनवरी, 2021 द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति की धनराशि के सापेक्ष धनराशि का आहरण नहीं किया गया है।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

5- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

6- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान - 27 सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या - ई - 10 - 32 /दस - 2021, दिनांक 05 फरवरी, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

संख्या-11/2021/264(1)/24-1-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in